न्यायालयः— श्री आलोक कुमार चतुर्वेदी अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी,
बगहा, प0 चम्पारण

निर्णय तिथि 09.07.2026
परिवाद संख्या— 1086 / 2022
विचारण संख्या— 2326 / 2025
अंबिका प्रसाद कुशवाहा ..... परिवादी

बनाम

हिरा बीन एवं अन्य ..... अभियुक्तगण

09.07.2026

पुकार की गई अभियुक्तगण 1. हिरा बीन 2. राजकुमार बीन 3. दशरथ बीन 4. मुन्ना गोड 5. लालबहादुर यादव उपस्थित। परिवादी अनुपस्थित। पत्रावली आरोप के बिन्दु पर सुनवाई एवं आदेश हेतु नियत है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत परिवाद परिवादी द्वारा परिवाद पत्र में नामीत अभियुक्तगण 1. हिरा बीन 2. राजकुमार बीन 3. दशरथ बीन 4. मुन्ना गोड 5. लालबहादुर यादव के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 147,323,379,327,504 / 34 अधिनियम में दाखिल किया गया। परिवादी तथा साक्षीयो के साक्ष अंकित करने के पश्चात दिनांक 28.03.2023 को अभियुक्तगण 1. हिरा बीन 2. राजकुमार बीन 3. दशरथ बीन 4. मुन्ना गोड 5. लालबहादुर यादव अन्तर्गत धारा 379,504,506 / 34 में समन जारी करने का आदेश दिया गया। अभियुक्तगण की न्यायालय के समक्ष उपस्थित सुनिश्चित हो जाने के पश्चात पत्रावली आरोप पुर्व साक्ष्य हेतु नियत कि गई परिवादी को विभिन्न तिथियो पर आरोप पूर्व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया, परंतु परिवादी न तो न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ, न ही आरोप पूर्व साक्ष प्रस्तुत किया। बचवा पक्ष की मांग की आधार पर न्यायहीत में परिवादी का आरोप पूर्व साक्ष्य बंद कर दिया गया तत्पश्चात पत्रावली आरोप गठन के बिन्दु पर सुनवाई एवं आदेश हेतु नियत हुई आरोप गठन के बिन्दु पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक 17. 07.2025 को धारा 245 द0प्र0स0 का आवेदन दिया गया जिसे बचाव पक्ष के द्वारा आज दिनांक 09.07.2026 को आवेदन प्रचालित किया। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना परिवादी पक्ष के तरफ से सुनवाई हेतु कोई उपस्थित नही हुआ। बचाव पक्ष द्वारा द.प्र.स. की धारा 245 के अधिन अभियुक्तगण के उन्मोचित किए जाने हेतु आवेदन दिया गया। दं. प्र.सं. की धारा 245 प्रावधानिक करती है कि :—

1. यदि धारा — 244 दं.प्र.सं. में निर्दिष्ट साक्ष्य लाने पर मजिस्ट्रेट का उन करणो से जो लेखबद्व किया जायेगा यह विचार है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध ऐसा कोई मामला सिद्ध नही हुआ जो अखंडित रहने पर उसके दोष सिद्धि के लिए समुचित आधार है तो मजिस्ट्रेट उसको उन्मोचित कर देगा।

2. इस धारा की कोई बात मजिस्ट्रेट को मामले की किसी पूर्वतम प्रक्रम में अभियुक्तगण को उस दशा में उन्मोचित करने से अनवरत करने वाली नहीं समझी जायेगी जिसमें मजिस्ट्रेट ऐसे कारणों से जो लिपिबद्व किया जा, यह विचार करता है कि आरोप निराधार है।

पत्रावली आज आरोप के विन्दु पर सुनवाई एवं आदेश हेतु नियत है। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि

परिवादी को विभिन्न तिथियो पर आरोप पूर्व साक्ष्य प्रस्तुत करने के अवसर दिये जाने के पश्चात भी आरोप पूर्व साक्ष प्रस्तुत नही किया गया। परिणामस्वरूप आरोप पूर्व साक्ष्य बन्द कर दिया गया। इस प्रकार अभिलेख पर कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नही है जिसके आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप गठन किया जाये। अतः अभियुक्तगण 1. हिरा बीन 2. राजकुमार बीन 3. दशरथ बीन 4. मुन्ना गोड 5. लालबहादुर यादव अन्तर्गत धारा 379,504,506/34 अधिनियम के आरोप से साक्ष्य के अभाव मे उन्मोचित किया जाता हैं। उनके जमानतदारो को बंधपत्र के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। कार्यालय लिपिक को आदेशित किया जाता है कि अभियुक्तगण 1. हिरा बीन 2. राजकुमार बीन 3. दशरथ बीन 4. मुन्ना गोड 5. लालबहादुर यादव का संबंधित थाने से गैरतामीला आदेशिकाओं को वापस मंगाने हेतु पत्र निर्गत करे। साथ ही साथ अभिलेख को अभिलेखागार में जमा कराने हेतु विधि अनुसार कार्यवाही करे।

दिनांक
09.07.2026

आलोक कुमार चतुर्वेदी
अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी
बगहा, प0 चम्पारण

उपर्युक्त आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लेखापित, संशोधित, हस्ताक्षरित किया गया।

दिनांक
09.07.2026

आलोक कुमार चतुर्वेदी
अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी
बगहा, प0 चम्पारण